मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

30/12/25

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार के नम्बर के बाद होकर पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 2025	18.03.2025	30.12.2025

बउनवान

1. राजपाल पुत्र श्री उमराव जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. उमराव पुत्र श्री रामसिंह जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री जगन्नाथ यादव —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री बस्तीराम यादव —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 692 / 0.68 हैक0, 693 / 0.70 हैक0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है0, व ख० नं0 694 / 0.43 हैक०, व ख0 नं0 1033 / 0.29 है0, व ख० नं0 1561 / 0.01 है0, 1562 / 1.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0, व ख0 नं0 1444 / 0.35 है0, व ख० नं0 700 / 0.01 हैक0, 701 / 0.66 हैक0, 703 / 0.30 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है0, व ख० नं0 702 / 0.10 हैक0, 714 / 0.06 हैक0, 720 / 0.07 हैक0, 729 / 0.11 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0, व ख० नं0 695 / 0.30

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हैक्0, 696/0.30 हैक्0, 697/0.29 हैक्0, 698/0.20 हैक्0, 699/0.21 हैक्0, 705/0.20 हैक्0, 706/0.20 हैक्0, 710/0.24 हैक्0, 711/0.24 हैक्0, 712/0.13 है0, 713/0.10 है0, 715/0.24 है0, 716/0.14 है0, 717/0.11 है0, 718/0.13 है0, 719/0.14 है0, 721/0.25 है0, 722/0.25 है0, 723/0.25 है0, 724/0.80 हैक्0, 726/0.01 हैक्0, 727/1.38 हैक्0, 728/0.25 हैक्0, 730/0.22 हैक्0, 731/0.22 हैक्0, 732/0.25 हैक्0, 733/0.05 हैक्0, 752/0.69 हैक्0, 753/0.70 हैक्0, 754/0.26 है0, 755/0.47 है0, 756/0.18 है0, 757/0.13 हैक्0, 758/0.13 हैक्0, 759/0.13 है0, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें मिन प्रार्थी का जन्म से ही बाई बर्थ 1/15 हिस्सा आता है। परन्तू मिन प्रार्थी के दादा रामसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी विरासत का इंतकाल अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज व मंजूर होगा जिसका वह नाजायज फायदा उठाना चाहता है और उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की जुस्तजू में है। इसलिये मिन प्रार्थी की और से उक्त प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक पेश करना आवश्यक आया है।

5. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी की दादालायी की आराजी है, जिसमें मिन प्रार्थी के पिता उमराव को प्रार्थी के दादा रामसिंह के दादालायी होने के कारण नोशनल शेयर है। जिसमें मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का बाई बर्थ हक वो अधिकार है। पक्षकारान का सजरा निम्न पेश है।

रामसिंह पुत्र हीरालाल फौत

....

उमराव   सुभाष   सुरेश   प्रेम   मंजू

|

....

राजपाल   वेदपाल   रेखा

6. यह है कि उक्त विवादित आराजी जो राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी के दादा रामसिंह के नाम दर्ज है उसमें से अप्रार्थी सं० 1 के हिस्से आने प्रार्थी आराजी में से मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का हिस्सा कानूनन दादालायी आराजी में स्थित है। जिसे मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस आराजी में मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बाई बर्थ अधिकार रक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी की दादालायी की आराजी है, जिस पर मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को बाई बर्थ हक वो अधिकार हांसिल है। अप्रार्थी सं० 1 बुजुर्ग व शराबी प्रवृति का व्यक्ति है जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है जो दीगर लोगो के बहकावे में रहता है तथा उक्त दादालायी आराजी को रहन बैय मुन्तकिल करने की फिराक में है। जबकि मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 ने दिनांक 02/03/2025 को मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को एलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड मेरे नाम दर्ज होते ही मैं उक्त आराजी का बेचान करके रहूंगा जबकि अप्रार्थी सं० 1 को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है। मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के अधिकार कानूनन सुरक्षित है। अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक मय हु० ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।

8. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 शराबी प्रवृति का व्यक्ति है जो अपनी शराब की लत पूरी करने के लिये उक्त दादालायी आराजी का बेचान करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को अजहद क्षति होगी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का जीवन बर्बाद हो जायेगा। जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, तथा दीगर मुकदमें बाजी में फसंना पडेगा जबकि मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिनकी रक्षार्थ हेतू प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

9. यह है कि अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 02/03/2025 को मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को एलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड मेरे नाम दर्ज होते ही मैं उक्त आराजी का बेचान करके रहूंगा बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

10. यह है कि उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के अधिकार कानूनन सुरक्षित है, तथा बैलेन्स ऑफ कन्वीनेंश और सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी व तरप्रतिवादी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना रूपयों पैसो में आंकना नामुमकिन है। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता:फैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त आराजी ख0 नं0 हाल 692/0.68 है0, 693/0.70 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है0, व ख0 नं0 694/0.43 है0, व ख0 नं0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1033 / 0.29 है0, व ख0 नं0 1561 / 0.01 है0, 1562 / 1.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0, व ख० नं0 1444 / 0.35 है0, व ख० नं0 700 / 0.01 हैक्0, 701 / 0.66 है0, 703 / 0.30 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है0, व ख० नं0 702 / 0.10 हैक्0, 714 / 0.06 हैक्0, 720 / 0.07 है0, 729 / 0.11 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0, व ख० नं० 695 / 0.30 हैक्0, 696 / 0.30 है0, 697 / 0.29 है0, 698 / 0.20 है0, 699 / 0.21 है0, 705 / 0.20 है0, 706 / 0.20 है0, 710 / 0.24 है0, 711 / 0.24 है0, 712 / 0.13 है0, 713 / 0.10 है0, 715 / 0.24 है0, 716 / 0.14 है0, 717 / 0.11 है0, 718 / 0.13 है0, 719 / 0.14 है0, 721 / 0.25 है0, 722 / 0.25 है0, 723 / 0.25 है0, 724 / 0.80 है0. 726 / 0.01 है0, 727 / 1.38 है0, 728 / 0.25 है0, 730 / 0.22 है0. 731 / 0.22 है0, 732 / 0.25 है0, 733 / 0.05 है0, 752 / 0.69 है0, 753 / 0.70 है0, 754 / 0.26 है0, 755 / 0.47 है0, 756 / 0.18 है0, 757 / 0.13 है0, 758 / 0.13 है0, 759 / 0.13 है0, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है को अप्रार्थी सं० 1 कहीं दीगर जगह रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, तथा मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करे, ना प्रार्थी को बेदखल करे, राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अप्रार्थी सं० 3 व 4 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेजात तस्दीक या पंजीबद्व ना करे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 1 निम्न पेश है –

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जि० नं० 1 उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र विस्तृत वाकेयात के साथ अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है, जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिये।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जि० नं0 2 के समर्थन में प्रार्थी ने शपथ पत्र व जो दस्तावेज पेश किये है, जिसमे प्रार्थी का केस प्रायम फैसाई पूर्णतः आयद वो साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 3 आराजी बाबत है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी सं० 1 को व्यक्तिगत रूप से शेयर प्राप्त हुआ है, पिता की फौतगी के बाद अप्रार्थी सं० 1 को उसका बनने वाला व्यक्तिवार हिस्सा प्राप्त हुआ है इस प्रकार प्राप्त हिस्सा अप्रार्थी सं० 1 का निजी हिस्सा है जिसमें से अप्रार्थी सं० 1 के जीवनकाल में कोई शेयर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 5 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन जवाबदार को आराजी अपने शेयर तक प्राप्त हुयी है जो मेरी निजी आराजी है प्रार्थी ने सजरा गलत पेश किया है आराजी मुतनाजा में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

को कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थी काबिज काश्तकार है प्रार्थी का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 6 इतना स्वीकार है कि आराजी पूर्वज के नाम दर्ज है अभी विरासत दर्ज होनी थी कि प्रार्थी ने अनावश्यक वाद दायर कर अप्रार्थी के विरासत दर्ज होने से आवश्यक बाधा पैदा की है, आराजी से प्रार्थी को हक हकूक दस्तावेज एवं साक्ष्य से साबित करने होगें केवल प्रार्थना पत्र में खानदानी व दादालायी के अभिवचन अंकित किये जाने से प्रार्थी कोई अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना ही प्रार्थी एवं तरप्रतिवादी के अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व बिना दस्तावेज के पेश किया है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में केवल एक ही अभिवचन के आधार पर प्रार्थना पत्र की सरंचना की गयी है कि खानदानी है लेकिन प्रार्थना पत्र के किसी भी पैरा में यह नहीं लिखा है कब व किस सम्मत् की जमाबन्दी से या किस इंतकाल के जरिये आराजी खानदानी होना ताईद करती है प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि मिन अप्रार्थी की मानसिक स्थिति खराब हो रही हो या मानसिक स्थिति से ग्रसित रहा हूँ प्रार्थी ने बेबुनियादी तथ्यों को आधार मानकर प्रार्थना पत्र में कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना अंकित किया है। दिनांक 02/03/2025 को ऐसी कोई घटना नहीं हुयी जैसा प्रार्थी ने लिखा है कि दिनांक 02/03/2025 को प्रार्थी व अप्रार्थी में कोई झगडा फिसाद ही नहीं हुआ तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति बिना किसी दुर्घटना के धमकी क्यों देगा और जब अप्रार्थी को परिवार से बाला बाला आराजी को विक्रय करनी थी तो अप्रार्थी धमकी देकर अपनी गोपनीयता भंग क्यों करेगा इसलिये प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी घटना के बिना प्रार्थना पत्र कारण के झूठे व बनावटी घटना के आधार पर पेश किया है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 8 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी शराब का आदी नहीं है ना ही मिन अप्रार्थी ने शराबी होने की साख गांव या समाज में बनायी है ना ही शराब के लिये घर की सम्पति व सम्मान को गंवाया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पर शराबी होने मानसिक विक्षिप्त होने जैसे गम्भीर आरोप बेबुनियाद है प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दायर करने का कोई प्रार्थना पत्र कारण नहीं था इसलिये प्रार्थी अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र कारण दर्शाने के लिये अप्रार्थी की छवि को खराब करने व मानसिक बिमार बताकर गांव समाज में अपमानित करने का प्रयास किया है।

9. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 9 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

10. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 10 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को कोई क्षति नहीं होती है प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी पक्ष की विस्तृत बहस

प्रार्थी के समंतदमक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजियाँ ग्राम करणीकोट स्थित हैं, जो मूलतः प्रार्थी के दादा स्व. रामसिंह की दादालायी एवं पैतृक सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति रही है, जिसमें प्रार्थी को जन्म से ही (By Birth) अधिकार प्राप्त है।

यह भी निवेदन किया गया कि दादा रामसिंह की मृत्यु उपरान्त केवल अप्रार्थी सं. 1 के नाम विरासत दर्ज होने से सम्पत्ति की प्रकृति निजी नहीं हो जाती, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्र, पौत्र आदि का जन्मसिद्ध अधिकार बना रहता है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सम्पत्ति को विक्रय/हस्तांतरित करने की मंशा स्पष्ट है तथा दिनांक 02.03.2025 को प्रार्थी व तरप्रतिवादी को धमकी दी गई कि राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज होते ही वह सम्पत्ति का बेचान कर देगा। यदि ऐसा होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई धन से संभव नहीं है।

यह भी तर्क दिया गया कि–
प्रथम दृष्टया अधिकार (Prima Facie Case) प्रार्थी के पक्ष में है,
सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि सम्पत्ति का स्वरूप परिवर्तित हो जाने पर विवाद जटिल हो जाएगा,
तथा अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) की पूर्ण संभावना है।

अतः न्यायालय से प्रार्थना की गई कि अन्तिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए।

अप्रार्थी पक्ष की विस्तृत बहस

अप्रार्थी के समंतदमक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतः तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं विधि विरुद्ध है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

यह तर्क दिया गया कि विवादित आराजियाँ अप्रार्थी सं. 1 को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात व्यक्तिगत हिस्से के रूप में प्राप्त हुई हैं, जो उसकी निजी एवं स्व–अर्जित (Self - acquired) प्रकृति की सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने विशेष रूप से यह इंगित किया कि–
प्रार्थी ने किसी भी जमाबंदी, इंतकाल, बंटवारे अथवा राजस्व अभिलेख से यह सिद्ध नहीं किया कि विवादित आराजियाँ आज भी संयुक्त/अविभाजित पारिवारिक सम्पत्ति हैं।

केवल प्रार्थना पत्र में "खानदानी" या "दादालायी" शब्द लिख देने से कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता। धमकी, शराबी प्रवृत्ति व मानसिक अस्थिरता जैसे आरोप अत्यन्त गंभीर हैं, किन्तु इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह भी कहा गया कि यदि अप्रार्थी वास्तव में सम्पत्ति का विक्रय करना चाहता तो वह इस प्रकार की कथित धमकी देकर अपनी मंशा सार्वजनिक क्यों करता। इससे स्पष्ट है कि कथित घटना काल्पनिक है और केवल प्रार्थना पत्र हेतु कारण उत्पन्न करने के लिए गढ़ी गई है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि–
प्रार्थी का प्रथम दृष्टया अधिकार सिद्ध नहीं होता,
प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं है,
बल्कि निषेधाज्ञा दिए जाने से अप्रार्थी को अनावश्यक क्षति होगी।
अतः प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कारण–अभाव में खारिज किया जाए।

विवेचन
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजियाँ राजस्व अभिलेख में पूर्वज के नाम दर्ज रही हैं, परन्तु प्रार्थी द्वारा यह दर्शाने हेतु कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त आराजियाँ हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति हैं, जिससे प्रार्थी को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता हो।
केवल प्रार्थना पत्र में कथन मात्र से प्रथम दृष्टया अधिकार सिद्ध नहीं माना जा सकता। धमकी व मानसिक स्थिति सम्बन्धी आरोप भी किसी स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट नहीं किए गए हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः न्यायालय की राय में –
प्रार्थी प्रथम दृष्टया अधिकार सिद्ध करने में असफल रहा है,
सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है,
तथा अपूरणीय क्षति की ठोस संभावना प्रमाणित नहीं होती।
इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आवश्यक तीनों तत्वों का अभाव पाया गया।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र को अधिकार सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)